

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 01/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरु) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 24 अप्रैल, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण ने कैपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु के संबंध में डब्ल्यूएफएस (बेंगलुरु) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएफएसबीपीएल) द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में निर्धारित विभिन्न अनुमानों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अतः ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.04.2023 के परामर्श पत्र संख्या 01/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; prabhjot.marwah@nic.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	15/05/2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	22/05/2023

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 9 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

डब्ल्यूएफएसबीपीएल के लिए कैपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारक के परामर्श के प्रयोजन से नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्ताव का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.8	प्राधिकरण यह मानता है कि डब्ल्यूएफएसबीपीएल द्वारा केआईए, बेंगलुरु में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा 'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' है। इसलिए प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए "लाइट टच अप्रोच" आधार पर टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।	9
अध्याय संख्या 3	3.3	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के लिए तालिका 7 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो मात्रा को मानने का प्रस्ताव करता है।	16
अध्याय संख्या 4.	4.7.1	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार आरएबी (कैपेक्स) के परिवर्धनों को मानने का प्रस्ताव करता है।	27
	4.7.2	प्राधिकरण तालिका 11 के अनुसार मूल्यहास को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.7.3	प्राधिकरण तालिका 13 के अनुसार औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.5	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल द्वारा तालिका 20 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	40
अध्याय संख्या 7.	7.3.1	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के संबंध में तालिका 22 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	46
	7.3.2	प्राधिकरण डब्ल्यूएफएसबीपीएल के संबंध में तालिका 23 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.3.3	प्राधिकरण संलग्नक IV के अनुसार डब्ल्यूएफएसबीपीएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 8.	8.3.1	प्राधिकरण तालिका 29 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल अनुमानित राजस्व (प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के बाद) को मानने का प्रस्ताव करता है।	50

अध्याय 10 हितधारक से परामर्श

- 10.1** ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 9 में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (संलग्नक-4 से V) लगाए गए हैं।
- 10.2** संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही आदेश जारी करेगा।
- 10.3** प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 9 में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 15/05/2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.

फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)